16/07/25

पत्रावली वास्ते डिक्री पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। पर वारिस व प्रति. सं. 22 का अतिरिक्त स्वीकार किया जाता है। चिन्हित डिक्री अलग से तैयार जारी शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। नियम से दर्ज हो। डिक्री सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2023/368

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.24 17:32:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी: संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 11/23 GCMS:-2023/368 **दायर दिनांक 04–01–2023**

सावित्री पत्नी श्री जेठाराम जाति नायक साकिन खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ राज0
—— वादीया

बनाम

1– आईदान पुत्र श्री चन्दुराम
2– आशाराम पुत्र श्री चन्दुराम
3–कलावती देवी पुत्री चन्दुराम
4– खींयाराम पुत्र श्री चन्दुराम
5–भोमाराम पुत्र श्री चन्दुराम
6–मुखराम पुत्र श्री चन्दुराम
7– रेशमा देवी पुत्री चन्दुराम
8–रामप्रताप पुत्र श्री चन्दुराम
9–लिछमादेवी पुत्री श्री चन्दुराम
10–हरीराम पुत्र श्री चन्दुराम

अकवाम नायक साकिनान भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

11–जगदीश पुत्र श्री चिमनाराम
12–मनोहरी देवी पुत्र श्री चिमनाराम
13–रामूराम पुत्र श्री चिमनाराम
14–रायसिह पुत्र श्री चिमनाराम
15–लिछमा पुत्री श्री चिमनाराम
16–शंकरलाल पुत्र श्री चिमनाराम
17– सरबती पुत्री श्री चिमनाराम
18–परमेश्वरी पत्नी श्री चिमनाराम

अकवाम नायक साकिनान भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

19–सरस्वती पत्नी श्री मोमनराम
20– हनुमान पुत्र श्री मोमनराम
21– पृथ्वीराम पुत्र श्री मोमनराम

अकवाम नायक साकिनान भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

22– सुभाष चन्द्र पुत्र श्री श्रवण कुमार जाति मेंघवाल साकिन निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
23– शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा पीलीबंगा
24–शाखा ब्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पीलीबगा।
25– शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कृषि विकास शाखा हनुमानगढ
26– शाखा प्रबन्धक आई सी आई सी आई बैंक शाखा सूरतगढ ।
27–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ । —— प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 20[illegible] [illegible] अधि0 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.24 17:32:25 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–

1– रामप्रताप तिवाड़ी, महेश पेड़ीवाल अभिभाषक वादी
2– कमलदत्त शर्मा , राजवीर भादू अभिभाषक प्रतिवादी नं0 22
3– पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

--2-- (प्र0स011/23 अनवान सावित्री बनाम आईदान वगैरा)

-:- निर्णय -:- दिनांक :- 16.07.2025

आज पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। वाद-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है वादीया/ प्रतिवादी सं0 1 ता 18 , 20 ता 22 के नाम चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम के खाता सं0 52/25 के प0न0 71/49 मु0न0 13 के किला न0 13 ता 18 , 22 ता 25/ 2.530 है0 , प0न0 71/50 मु0न0 21 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 18, 25/1, 25/2 में 4.048 है0 कमाण्ड , प0न0 71/57 मु0न0 12 के किला न0 20/2, 21/1 में 0.392 है0 कमाण्ड , प0न0 71/58 मु0न0 22 के किला न0 1-10-11-20-21/1.265 है0 कमाण्ड कुल तादादी 8.235 है0 कमाण्ड एवं चक 2 बी जे डब्ल्यू में वादीया, प्रतिवादी स0 1 ता 19 व 21 के नाम संयुक्त खाता सं0 41/33 के प0न0 71/50 मु0न0 10 के किला न0 19/1, ता 24/2 में 1.518 है0 अ0क0 , प0न0 71/51 मु0न0 17 के किला न0 1 ता 10/2.530 है0 , प0न0 71/59 मु0न0 16 के किला न0 1/1, 1/2 में 0.253 है0 कुल तादादी 4.301 है0 खातेदारी भूमि इस प्रकार दोनो चको में 12.536 है0 कमाण्ड/ अनकमाण्ड खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। दोनो चको 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम व 2 बी जे डब्ल्यू की कुल भूमि 12.536 है0 कृषि भूमि दर्ज थी । इस भूमि में चिमनाराम , खीयाराम , आईदानराम पुत्रगण चन्दूराम के नाम प्रत्येक का 1/3 , 1/3 हिस्सा यानि 4.178, 4,179, 4,179 है0 हिस्सा में थी व हिस्सा अनुसार घेरजू बंटवारा के मुताबिक ये लोग अपने कब्जा काश्त की भूमि पर काश्त करते आ रहे है । प्रतिवादी सं0 11 ता 18 ने अपने संयुक्त खाता की भूमि में से 7/24 हिस्सा यानि 2.656 है0 का बेचान मनीराम पुत्र श्री कानाराम को कर दिया तथा घरेतू कब्जानुसार चक 2 बी जे डब्ल्यू के प0न0 71/49 के किला न0 13-14-17-18 -24/1.265 है0, प0न0 71/50 के किला न0 4-7-14-17/1.012 है0 , प0न0 71/57 के किला न0 20/2, 21/1 में 0.392 है0 कुल तादादी 2.656है0 भूमि का कब्जा कास्त दे दिया जो कि बैयनांमा दिनांक 09-07-2003 को दिया गया । तथा कब्जे का शपथ-पत्र भी दिनांक 09-07-2003 को दिया गया । इस बैयनांमा का इन्तकाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है तथा मनीराम ने दिनांक 14-09-2003 को अपने द्वारा परमेश्वरी वगैरा से खरीद की गई भूमि 2.656 है0 मुझ वादीया को जरिये रजिस्टर्ड बैयनांमा बेचान दिनांक 14-09-2009 कर दिया व मनीराम पुत्र श्री कानाराम द्वारा अपने कब्जा काश्त जो कि पूर्व में उसे घरेलू बंटवारा मुताबिक परमेश्वरी वगैरा ने दिया था का शपथ-पत्र मुझ वदीया को लिखकर दिया जिसमें चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम के प0न0 71/49 के किला न0 13-14-17-18-24/ 1.265 है0, प0न0 71/50 के किला न0 4-7-14-17/ 1.012 है0 , प0न0 71/57 के किला न0 20/2, 21/1 में 0.392 है0 कुल तादादी 2.656है0 भूमि का कब्जा दे दिया इस प्रकार वादीया इस सांझा खाते की भूमि में 2.656 है0 की खरीद शुदा खातेदार सह काश्तकार है । जैरवाद भूमि में वादीया का मौका पर चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम के प0न0 71/49 के किला न0 13/0.240 है0 , 14/0.253 है0 , 17/0.253 है0 , 18/0.253 है0 , 24/0.253 है0 = 1.252 है0 व प0न0 71/50 के किला न0 4-7-14-17/ 1.012 है0 , प0न0 71/57 के किला न0 20/2, 21/1 में 0.392 है0 कुल तादादी 2.656है0 भूमि पर खरीद की दिनांक से मौका पर काबिज काश्त है । चक 2 बी जे डब्ल्यू से कालान्तर में एक नया चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम बना दिया गया । जिसमें वादीया का 349/1647 हिस्सा यानि 1.745 है0 यानि 6 बीघा 18 बिस्वा अंकित कर दिया गया व चक 2 बी जे डब्ल्यू की जमाबन्दी में वादीया का 911/4301 हिस्सा यानि 0.911 है0 यानि 3 बीघा 12 बिस्वा अंकित कर दिया । चक 2 बी जे डब्ल्यू में कमाण्ड भूमि 0.126 है0 है व चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम में कमाण्ड भूमि 8.235 है0 है । वादीया ने कमाण्ड भूमि ही [illegible] और जो मूल खातेदार से कब्जा लिखकर लिया गया है वह भी कमाण्ड भूमि [illegible] की जमाबन्दी के खाता सं0 52/25 में आता है इस प्रकार वादीया का नाम [illegible] 2 बी जे डब्ल्यू की जमाबन्दी से कलमजन किया जाकर इस जमाबन्दी का 911/4301 हिस्सा चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम में अंकित किया जावे । प्रतिवादी सं0 11 ता 18 के नाम चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम में रकबा है उसमें से इनका अनुपातिक आधार पर 911/4301 है0 कलमजन किया जाकर वादीया के नाम इस खाता में घोषित करके जोडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.24 17:32:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

जाकर चक 2 बी जे डब्ल्यू में वादीया का 911/4301 हिस्सा कलमजन किया जाकर प्रतिवादी न0 11 ता 18 के नाम अनुपातिक आधार पर जोड दिया जावे । जिसकी वादीया क़ानूनन हकदार है । एवं कब्जा मुताबिक अन्य खातेदारो से वादीया का खाता अलग किया जावे । वादी ने अपने नाम की खरीद शुदा भूमि 2.656 है0 भूमि में से प्रतिवादी न0 22 सुभाष चन्द्र पुत्र श्री श्रवण कुमार को 349/1647 हिस्सा यानि 1.745 है0 यानि 6 बीघा 18 बिस्वा का बेचान कर दिया तथा चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम के प0न0 71/49 के किला न0 17/0.088 है0 , 24/0.253 है0 = 0.341 है0 ,प0न0 71/50 के किला न0 4–7–14–17/1.012 है0 , प0न0 71/57 के किला न0 20/2, 21/1 में 0.392 है0 कुल तादादी 1.745 है0 भूमि का बैयनांमा के वक्त से कब्जा कास्त सुपुर्द कर दिया गया तथा शेष रकबा वादीया के पास चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम के प0न0 71/49 के किला न0 13/0.240 है0 , 14/0.253 है0 , 17/0.165 है0 , 18/0.253 है0 कुल 0.911 है0 भूमि पर कब्जा चला आ रहा है । इसी अनुसार घोषणा की जावे तथा प्रतिवादी न0 22 सुभाषचन्द्र के नाम से भी चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम के प0न0 71/49 के किला न0 17/0.088 है0 , 24/0.253 है0 = 0.341 है0 ,प0न0 71/50 के किला न0 4–7–14–17/1.012 है0 , प0न0 71/57 के किला न0 20/2, 21/1 में 0.392 है0 कुल तादादी 1.745 है0 भूमि की घोषण कर दी जावे । इसी अनुसार खाता विभाजन करवाने की वादीया कानूनी रूप से अधिकारी है । इसलिए वादीया खातेदार काश्तकार होने के कारण खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया ।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिसमें प्रतिवादी न0 22, की तरफ से विद्वान अभिभाषक कमलदत्त शर्मा एवं राजवीर भादू उपस्थिति होकर प्रतिवादी न0 22 द्वारा संशोधित जबाब दावा मय प्रतिवाद–पत्र प्रस्तुत किया। परोकार राज उपस्थित । प्रतिवादी सं0 1 ता 21 व 23 ता 26 बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस सूचना हाजिर नही आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई ।

इसके पश्चात वाद , जबाब दावा एव प्रतिवाद–पत्र के आधार पर तनकीयात कायम की गई । जिसके पश्चात साक्ष्य वादीया एवं प्रतिवादीगण करवाये गये। प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

1–आया कि वादीया चक 2 बी जे डब्ल्यू के प0न0 71/49 के किला न0 13, 14, 17, 18, 24/1.265 है0 एवं प0न0 71/50 के किला न0 4, 7, 14, 17 में 1.012 है0 व प0न0 71/57 के किला न0 20/2, 21/1 में 0.392 है0 कुल 2.656 है0 कमाण्ड भूमि की खातदेार कृषक है? ——वादीया

2–आया कि मद सं0 1 में अंकित रकबा 2.656 है0 चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम में स्थापित हो चुका है । समस्त भूमि 0.911 है0 भूमि की घोषणा इस चक में घोषित करवाकर चक 2 बी जे डबल्यू में अपना नाम कलमजन करवाने का अधिकरी है? ——वादीया

3–आया कि अनुतोष संख्या (ख) में अंकित रकबा 0.911 है0 रकबा की खरीद शुदा खातेदार कृषक है तथा अनुतोष संख्या ग में अंकित रकबा का अलग से खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है? ——— वादीया

4–आया की प्रतिवादी सं0 22 चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम खाता सं0 52/25 के पन0 71/49 के किला न0 13, 14, 17, 18, 24 में 1.265 है0 , प0न0 71/50 के किला न0 4–7 की 0.468 है0 कुल 1.733 है0 खरीद शुदा भूमि का खातेदार कृषक है एवं इसी भूमि का अलग से खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है? ———प्रतिवादी सं0 22

5– अनुतोष

तनकीयात कायम करने के पश्चात प्रकरण [illegible] साक्ष्य में वादीगण द्वारा स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया किये गये ।

इसके पश्चात साक्ष्य तनकीवार तर्क पक्षकारान सुना गया। विद्वान अभिभाषकगण वादीगण ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों एवं प्रमाणित दस्तावेजो की तरफ ध्यान आकर्षित करवाते हुए निवेदन किया कि वादीया/ प्रतिवादी सं0 1 ता 18 , 20 ता 22 के नाम चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम के खाता सं0 52/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.24 17:32:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

की कुल तादादी 8.235 है0 कमाण्ड एवं चक 2 बी जे डब्ल्यू में वादीया, प्रतिवादी स0 1 ता 19 व 21 के नाम संयुक्त खाता सं0 41/33 की कुल तादादी 4.301 है0 खातेदारी भूमि इस प्रकार दोनो चको में 12. 536 है0 कमाण्ड/ अनकमाण्ड खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। दोनो चको 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम व 2 बी जे डब्ल्यू की कुल भूमि 12.536 है0 कृषि भूमि दर्ज थी । इस भूमि में चिमनाराम , खीयाराम , आईदानराम पुत्रगण चन्दूराम के नाम प्रत्येक का 1/3 , 1/3 हिस्सा में थी व हिस्सा अनुसार घेरलू बंटवारा के मुताबिक ये लोग अपने कब्जा काश्त की भूमि पर काश्त करते आ रहे है । प्रतिवादी सं0 11 ता 18 ने अपने संयुक्त खाता की भूमि में से 7/24 हिस्सा यानि 2.656 है0 का बेचान मनीराम पुत्र श्री कानाराम को कर दिया तथा घरेतू कब्जानुसार चक 2 बी जे डब्ल्यू के प0न0 71/49 के किला न0 13–14–17–18 –24/1.265 है0, प0न0 71/50 के किला न0 4–7–14–17/1.012 है0 , प0न0 71/57 के किला न0 20/2, 21/1 में 0.392 है0 कुल तादादी 2.656है0 भूमि का कब्जा कास्त दे दिया जो कि बैयनांमा दिनांक 09–07–2003 को दिया गया । तथा कब्जे का शपथ–पत्र भी दिनांक 09–07–2003 को दिया गया । इस बैयनांमा का इन्तकाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है तथा मनीराम ने दिनांक 14–09–2003 को अपने द्वारा परमेश्वरी वगैरा से खरीद की गई भूमि 2.656 है0 मुझ वादीया को जरिये रजिस्टर्ड बैयनांमा बेचान दिनांक 14–09–2009 कर दिया व मनीराम पुत्र श्री कानाराम द्वारा अपने कब्जा काश्त जो कि पूर्व में उसे घरेलू बंटवारा मुताबिक परमेश्वरी वगैरा ने दिया था का शपथ–पत्र मुझ वदीया को लिखकर दिया जिसमें चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम के प0न0 71/49 के किला न0 13–14–17–18–24/1.265 है0, प0न0 71/50 के किला न0 4–7–14–17/ 1.012 है0 , प0न0 71/57 के किला न0 20/2, 21/1 में 0.392 है0 कुल तादादी 2.656है0 भूमि का कब्जा दे दिया इस प्रकार वादीया इस सांझा खाते की भूमि में 2.656 है0 की खरीद शुदा खातेदार सह काश्तकार है । जैरवाद भूमि में वादीया का मौका पर चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम के प0न0 71/49 के किला न0 13/0. 240 है0 , 14/0.253 है0 , 17/0.253 है0 , 18/0.253 है0 , 24/0.253 है0 = 1.252 है0 व प0न0 71/50 के किला न0 4–7–14–17/ 1.012 है0 , प0न0 71/57 के किला न0 20/2, 21/1 में 0.392 है0 कुल तादादी 2.656है0 भूमि पर खरीद की दिनांक से मौका पर काबिज काश्त है । चक 2 बी जे डब्ल्यू से कालान्तर में एक नया चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम बना दिया गया । जिसमें वादीया का 349/1647 हिस्सा यानि 1.745 है0 यानि 6 बीघा 18 बिस्वा अंकित कर दिया गया व चक 2 बी जे डब्ल्यू की जमाबन्दी में वादीया का 911/4301 हिस्सा यानि 0.911 है0 यानि 3 बीघा 12 बिस्वा अंकित कर दिया । चक 2 बी जे डब्ल्यू में कमाण्ड भूमि 0.126 है0 है व चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम में कमाण्ड भूमि 8.235 है0 है । वादीया ने कमाण्ड भूमि ही क्रय की थी और जो मूल खातेदार से कब्जा लिखकर लिया गया है वह भी कमाण्ड भूमि का है । जो कि चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम की जमाबन्दी के खाता सं0 52/25 में आता है इस प्रकार वादीया का नाम चक 2 बी जे डब्ल्यू की जमाबन्दी से कलमजन किया जाकर इस जमाबन्दी का 911/4301 हिस्सा चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम में अंकित किया जावे । प्रतिवादी सं0 11 ता 18 के नाम चक 2 बी जे डबल्यू प्रथम में रकबा है उसमें से इनका अनुपातिक आधार पर 911/4301 है0 कलमजन किया जाकर वादीया के नाम इस खाता में घोषित करके जोडा जाकर चक 2 बी जे डब्ल्यू में वादीया का 911/4301 हिस्सा कलमजन किया जाकर प्रतिवादी न0 11 ता 18 के नाम अनुपातिक आधार पर जोड़ दिया जावे । जिसकी वादीया कानूनन हकदार है । एवं कब्जा मुताबिक अन्य खातेदारो से वादीया का खाता अलग किया जावे । वादी ने अपने नाम की खरीद शुदा भूमि 2.656 है0 भूमि में से प्रतिवादी न0 23 श्री सन्दीप कुमार को 349/1647 हिस्सा यानि 1.745 है0 यानि 6 बीघा 18 बिस्वा का बेचान कर दिया तथा चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम के प0न0 71/49 के किला न0 17/0.088 है0 , 24/0.253 है0 = 0.341 है0 ,प0न0 71/50 के किला न0 4–7–14–17/1.012 है0 , प0न0 71/57 के किला न0 20/2, 21/1 में 0.392 है0 कुल तादादी 1. 745 है0 भूमि का बैयनांमा के वक्त से कब्जा कास्त सुपुर्द कर दिया गया तथा शेष रकबा वादीया वादीया/ प्रतिवादी सं0 1 ता 18 , 20 ता 22 के नाम चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम के खाता सं0 52/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.24 17:32:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

के प0न0 71/49 मु0न0 13 के किला न0 13 ता 18 , 22 ता 25/ 2.530 है0 , प0न0 71/50 मु0न0 21 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 18, 25/1, 25/2 में 4.048 है0 कमाण्ड , प0न0 71/57 मु0न0 12 के किला न0 20/2, 21/1 में 0.392 है0 कमाण्ड , प0न0 71/58 मु0न0 22 के किला न0 1–10–11–20–21/1.265 है0 कमाण्ड कुल तादादी 8.235 है0 कमाण्ड एवं चक 2 बी जे डब्ल्यू में वादीया, प्रतिवादी स0 1 ता 19 व 21 के नाम संयुक्त खाता सं0 41/33 के प0न0 71/50 मु0न0 10 के किला न0 19/1, ता 24/2 में 1.518 है0 अ0क0 , प0न0 71/51 मु0न0 17 के किला न0 1 ता 10/2.530 है0 , प0न0 71/59 मु0न0 16 के किला न0 1/1, 1/2 में 0.253 है0 कुल तादादी 4.301 है0 खातेदारी भूमि इस प्रकार दोनो चको में 12.536 है0 कमाण्ड/ अनकमाण्ड खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। दोनो चको 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम व 2 बी जे डब्ल्यू की कुल भूमि 12.536 है0 कृषि भूमि दर्ज थी । इस भूमि में चिमनाराम , खीयाराम , आईदानराम पुत्रगण चन्दूराम के नाम प्रत्येक का 1/3 , 1/3 हिस्सा यानि 4.178, 4,179, 4,179 है0 हिस्सा में थी व हिस्सा अनुसार घेरजू बंटवारा के मुताबिक ये लोग अपने कब्जा काश्त की भूमि पर काश्त करते आ रहे है । प्रतिवादी सं0 11 ता 18 ने अपने संयूक्त खाता की भूमि में से 7/24 हिस्सा यानि 2.656 है0 का बेचान मनीराम पुत्र श्री कानाराम को कर दिया तथा घरेतू कब्जानुसार चक 2 बी जे डब्ल्यू के प0न0 71/49 के किला न0 13–14–17–18 –24/1.265 है0, प0न0 71/50 के किला न0 4–7–14–17/1.012 है0 , प0न0 71/57 के किला न0 20/2, 21/1 में 0.392 है0 कुल तादादी 2.656है0 भूमि का कब्जा कास्त दे दिया जो कि बैयनांमा दिनांक 09–07–2003 को दिया गया । तथा कब्जे का शपथ–पत्र भी दिनांक 09–07–2003 को दिया गया । इस बैयनांमा का इन्तकाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है तथा मनीराम ने दिनांक 14–09–2003 को अपने द्वारा परमेश्वरी वगैरा से खरीद की गई भूमि 2.656 है0 मुझ वादीया को जरिये रजिस्टर्ड बैयनांमा बेचान दिनांक 14–09–2009 कर दिया व मनीराम पुत्र श्री कानाराम द्वारा अपने कब्जा काश्त जो कि पूर्व में उसे घरेलू बंटवारा मुताबिक परमेश्वरी वगैरा ने दिया था का शपथ–पत्र मुझ वदीया को लिखकर दिया जिसमें चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम के प0न0 71/49 के किला न0 13–14–17–18–24/ 1.265 है0, प0न0 71/50 के किला न0 4–7–14–17/ 1.012 है0 , प0न0 71/57 के किला न0 20/2, 21/1 में 0.392 है0 कुल तादादी 2.656है0 भूमि का कब्जा दे दिया इस प्रकार वादीया इस सांझा खाते की भूमि में 2.656 है0 की खरीद शुदा खातेदार सह काश्तकार है । जैरवाद भूमि में वादीया का मौका पर चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम के प0न0 71/49 के किला न0 13/0.240 है0 , 14/0.253 है0 , 17/0.253 है0 , 18/0.253 है0 , 24/0.253 है0 = 1.252 है0 व प0न0 71/50 के किला न0 4–7–14–17/ 1.012 है0 , प0न0 71/57 के किला न0 20/2, 21/1 में 0.392 है0 कुल तादादी 2.656है0 भूमि पर खरीद की दिनांक से मौका पर काबिज काश्त है । चक 2 बी जे डब्ल्यू से कालान्तर में एक नया चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम बना दिया गया । जिसमें वादीया का 349/1647 हिस्सा यानि 1.745 है0 यानि 6 बीघा 18 बिस्वा अंकित कर दिया गया व चक 2 बी जे डब्ल्यू की जमाबन्दी में वादीया का 911/4301 हिस्सा यानि 0.911 है0 यानि 3 बीघा 12 बिस्वा अंकित कर दिया । चक 2 बी जे डब्ल्यू में कमाण्ड भूमि 0.126 है0 है व चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम में कमाण्ड भूमि 8.235 है0 है । वादीया ने कमाण्ड भूमि ही क्रय की थी और जो मूल खातेदार से कब्जा लिखकर लिया गया है वह भी कमाण्ड भूमि का है । जो कि चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम की जमाबन्दी के खाता सं0 52/25 में आता है इस प्रकार वादीया का नाम चक 2 बी जे डब्ल्यू की जमाबन्दी से कल[illegible] 911/4301 हिस्सा चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम में अंकित किया जावे । प्रतिवादी सं0 [illegible] नाम चक 2 बी जे डबल्यू प्रथम में रकबा है उसमें से इनका अनुपातिक आधार पर 911/4301 [illegible] किया जाकर वादीया के नाम इस खाता में घोषित करके जोडा [illegible] वादीया का 911/4301 हिस्सा कलमजन किया जाकर प्रतिवादी न0 11 ता 18 के नाम अनुपाति[illegible] आधार पर जोड दिया जावे । जिसकी वादीया कानूनन हकदार है । एवं कब्जा मुताबिक अन्य खातेदारो से वादीया का खाता अलग किया जावे । वादी ने अपने नाम की खरीद शुदा भूमि 2.656 है0 भूमि में से प्रतिवादी न0 22 सुभाष चन्द्र पुत्र श्री श्रवण कुमार को 349/1647 हिस्सा यानि 1.745 है0 यानि 6 बीघा 18 बिस्वा का बेचान कर दिया तथा चक 2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.24 17:32:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

बी जे डब्ल्यू प्रथम के प0न0 71/49 के किला न0 17/0.088 है0, 24/0.253 है0 = 0.341 है0, प0न0 71/50 के किला न0 4–7–14–17/1.012 है0, प0न0 71/57 के किला न0 20/2, 21/1 में 0.392 है0 कुल तादादी 1.745 है0 भूमि का बैयनांमा के वक्त से कब्जा कास्त सुपुर्द कर दिया गया तथा शेष रकबा वादीया के पास चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम के प0न0 71/49 के किला न0 13/0.240 है0, 14/0.253 है0, 17/0.165 है0, 18/0.253 है0 कुल 0.911 है0 भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। इसी अनुसार घोषणा की जावे तथा प्रतिवादी न0 22 सुभाषचन्द्र के नाम से भी चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम के प0न0 71/49 के किला न0 17/0.088 है0, 24/0.253 है0 = 0.341 है0, प0न0 71/50 के किला न0 4–7–14–17/1.012 है0, प0न0 71/57 के किला न0 20/2, 21/1 में 0.392 है0 कुल तादादी 1.745 है0 भूमि की घोषणा कर दी जावे। इसी अनुसार खाता विभाजन करवाने की वादीया कानूनी रूप से अधिकारी है के पास चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम के प0न0 71/49 के किला न0 13/0.240 है0, 14/0.253 है0, 17/0.165 है0, 18/0.253 है0 कुल 0.911 है0 भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। इसी अनुसार घोषणा करने का निवेदन किया।

प्रतिवादी नं0 22 के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जबाब दावा एव प्रतिवाद–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीया के द्वारा वाद–पत्र में दर्ज करवाये गये तथ्यों के मुताबिक मुझ प्रतिवादी नं0 22 का कब्जा कास्त चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम के प0न0 71/49 के किला न0 17/0.088 है0, 24/0.253 है0 = 0.341 है0, प0न0 71/50 के किला न0 4–7–14–17/1.012 है0, प0न0 71/57 के किला न0 20/2, 21/1 में 0.392 है0 कुल तादादी 1.745 है0 खातेदारी भूमि जरिये बैयनांमा के वक्त से चली आ रही है। और इसी मुताबिक प्रतिवादी सं0 22 खाता विभाजन करवाने का कानून हकदार है।

दोनो पक्षो की तरफ से दौराने बहस प्रस्तुत तर्को एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का मनन किया गया। विस्तृत विवेचना एव विश्लेषण तनकीवार निम्न प्रकार से है :–

तनकी न0 1–आया कि वादीया चक 2 बी जे डब्ल्यू के प0न0 71/49 के किला न0 13, 14, 17, 18, 24/1.265 है0 एवं प0न0 71/50 के किला न0 4, 7, 14, 17 में 1.012 है0 व प0न0 71/57 के किला न0 20/2, 21/1 में 0.392 है0 कुल 2.656 है0 कमाण्ड भूमि की खातदेार कृषक है?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीया पर था। वादीया ने वाद पत्र के साथ प्रमाणित जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 वाके 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम खाता सं0 52/25 में 8.235 है0 एवं जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 2075 वाके चक 2 बी जे डब्ल्यू के खाता सं0 41/33 में 4.301 है0 खातेदारी भूमि की प्रस्तुत की गई। वादीया द्वारा शपथ–पत्र के द्वारा प्रर्दशित करवाया गया है। जिसका खण्डन प्रतिवादीगण के द्वारा नही किया गया ना ही कोई विपरित दस्तावैज प्रस्तुत किये गये। जिससे यह सिद्ध होता है जैरवाद रकबा बैयनांमा के वक्त से ही वादीया के कब्जा कास्त में चला आ रहा है। तथा इसके पश्चात वादीया ने अपने कब्जा कास्त रकबा में से 1.745 है0 रकबा का बेचान प्रतिवादी नं0 22 को किया गया। उक्त जैरवाद किलाजात का कब्जा सुपुर्द कर दिया गया जिसमें किसी प्रकार का कोई भी आपत्ति नही आई। तनकी न0 1 बहक वादीया निर्णित की जाती है।

तनकी न0 2–आया कि मद सं0 1 में अंकित रकबा 2.656 है0 चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम में स्थापित हो चुका है। समस्त भूमि 0.911 है0 भूमि की घोषणा इस चक में घोषित करवाकर चक 2 बी जे डबल्यू में अपना नाम कलमजन करवाने का [illegible] है?

इस तंनकी को सिद्ध करने का भार वा[illegible]। वादीया ने अपने शपथ–पत्र तथा अन्य दस्तावैजो के द्वारा वाद पत्र के [illegible] प्रतिवादी सं0 11 ता 18 ने अपने संयुक्त खाता की भूमि में [illegible] पुत्र. श्री कानाराम को करवाया गया तथा वाद–पत्र की मद सख्या 3 में दर्ज किलाजात के मुता[illegible] कब्जा कास्त घरेलू बंटवारा के मुताबिक सुपुर्द कर दिया गया। इसके पश्चात दिनांक 14–09–2003 को मनीराम ने उक्त रकबा परमेश्वरी वगैरा को बेचान कर दिया गया तथा परमेश्वरी वगैरा ने रजिस्टर्ड बैयनांमा द्वारा दिनांक 14–09–2009 को मुझ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.24 17:32:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वादीया के पक्ष में करवा दिया गया । तथा कब्जा कास्त उक्त किलाजात का सुपुर्द कर दिया गया जिस पर वादीया बैयनांमा के वक्त से ही शांतिपूर्ण तरीके से कास्त करती आ रही है । उक्त रकबा चक 2 बी जे डब्ल्यू में था जो कालान्तर में 2 बी जे डब्ल्यू एवं 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम में स्थापित हुआ । परन्तू प्रतिवादी नं0 11 ता 18 का कब्जा कास्त घरेलू बंटवारा के मुताबिक चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम में पैमूद हो गया । जो प्रतिवादी नं0 11 ता 18 द्वारा बेचान किया जा चुका है । जिसके कारण प्रतिवादी स0 11 ता 18 चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम में 0.911 है0 भूमि के कतई हकदार नही है । तथा वादीया के शपथ–पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नही किया गया जिससे तनकी पूर्णरूप से सिद्ध होती है । तनकी न0 2 बहक वादीया निर्णित की जाती है ।

तनकी न0 3–आया कि अनुतोष संख्या (ख) में अंकित रकबा 0.911 है0 रकबा की खरीद शुदा खातेदार कृषक है तथा अनुतोष संख्या ग में अंकित रकबा का अलग से खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीया पर था। वादीया के द्वारा तनकी न0 1 व 2 में अपने जैरवाद रकबा को पूर्णरूप से सिद्ध किया है जिसके मुताबिक वादीया को जरिये बैयनांमा वाके चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम के किलाजात में कब्जा कास्त दिया गया जिसमें वादीया कास्त करती आ रही है । तथा 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम का रकबा पाने की वादिया हकदार है । तनकी न0 3 बहक वादीया निर्णित की जाती है ।

तनकी न0 4–आया की प्रतिवादी सं0 22 चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम खाता सं0 52/25 के पन0 71/49 के किला न0 13, 14, 17, 18, 24 में 1.265 है0, प0न0 71/50 के किला न0 4–7 की 0.468 है0 कुल 1.733 है0 खरीद शुदा भूमि का खातेदार कृषक है एवं इसी भूमि का अलग से खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी न0 22 पर था। वादीया के द्वारा वाद–पत्र में प्रतिवादी सं0 22 के किलाजात को स्वीकार किया गया । तथा प्रतिवादी सं0 22 के प्रतिवाद–पत्र का किसी भी दस्तावैज का कोई भी खण्डन नही किया गया । इसलिए प्रतिवादी का प्रतिवाद–पत्र स्वीकार योग्य है । तनकी न0 3 बहक प्रतिवादी सं0 22 निर्णित की जाती है ।

तनकीवार उपरोक्त विवेचना अनुसार तनकीयात बहक वादीया एवं प्रतिवादी सं0 22 निर्णित हो चुकी है । वादीया/ प्रतिवादी सं0 1 ता 18, 20 ता 22 के नाम चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम के खाता सं0 52/25 की कुल तादादी 8.235 है0 कमाण्ड एवं चक 2 बी जे डब्ल्यू में वादीया, प्रतिवादी स0 1 ता 19 व 21 के नाम संयुक्त खाता सं0 41/33 की कुल तादादी 4.301 है0 खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है । वादीया के द्वारा जरिये बैयनांमा द्वारा खरीद शुदा रकबा चक 2 बी जे डब्ल्यू से पैमूद चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम में बने किलाजात पर चला आ रहा है । जिसमें वादीया का कब्जा कास्त वाके चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम के प0न0 71/49 के किला न0 13/0.240 है0, 14/0.253 है0, 17/0.165 है0, 18/0.253 है0 कुल 0.911 है0 भूमि तथा प्रतिवादी नं0 22 का कब्जा कास्त चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम के प0न0 71/49 के किला न0 17/0.088 है0, 24/0.253 है0 = 0.341 है0, प0न0 71/50 के किला न0 4–7–14–17/1.012 है0, प0न0 71/57 के किला न0 20/2, 21/1 में 0.392 है0 कुल तादादी 1.745 है0 खातेदारी भूमि चला आ रहा है तथा इसी ... करवाने के हकदार है । प्रतिवादी सं0 11 ता 18 के नाम दर्ज भूमि वाके चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम में प्रतिवादी नं0 11, 12, 14 ता 17 प्रत्येक का 0.094 है0 एवं प्रतिवादी सं0 18 का 0.093 है0 एवं प्रतिवादी सं0 13 का 0.254 है0 भूमि कलमजन कर वादीया के नाम दर्ज करने तथा वादीया के नाम चक 2 बी जे डब्ल्यू में 0.911 है0 भूमि कलमजन कर प्रतिवादी सं0 11, 12, 14 ता 17 प्रत्येक का 0.094 है0 एवं प्रतिवादी सं0 18 का 0.093 है0 एवं प्रतिवादी सं0 13 का 0.254 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड की जावे । जिसे वादीया के द्वारा प्रमाणित दस्तावैजो तथा शपथ–पत्रो के द्वारा सिद्ध किया है । जिस पर किसी पक्ष की कोई भी आपत्ति नही आई है । अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.24 17:32:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उक्त विवेचन अनुसार वाद वादीया एवं प्रतिवादी सं0 22 का प्रतिवाद—पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं0 11 ता 18 के नाम भूमि वाके चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम के खाता सं0 52/25 में प्रतिवादी नं0 11, 12, 14 ता 17 प्रत्येक का 0.094 है0 एवं प्रतिवादी सं0 18 का 0.093 है0 एवं प्रतिवादी सं0 13 का 0.254 है0 भूमि कलमजन कर वादीया के नाम दर्ज करने तथा वादीया के नाम चक 2 बी जे डब्ल्यू के खाता सं0 41/33 में 0.911 है0 भूमि कलमजन कर प्रतिवादी सं0 11, 12, 14 ता 17 प्रत्येक का 0.094 है0 एवं प्रतिवादी सं0 18 का 0.093 है0 एवं प्रतिवादी सं0 13 का 0.254 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड दर्ज करने के आदेश दिये जाते है । चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम के खाता सं0 52/25 की कुल तादादी 8.235 है0 कमाण्ड का निम्न प्रकार से खाता विभाजन स्वीकार किया जाता है :—

क. स.	नाम काश्तकार	चक/ ग्राम	प0न0	किला नम्बर / रकबा
1—	सावित्री पत्नी जेठाराम जाति नायक साकिन खेदासर तहसील रावतसर खातेदार	2 बी जे डब्ल्यू प्रथम	71/49	13/0.240, 14/0.506 है0 , 17/0.165 है0 , 18/0.253 है0 कुल 0.911 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि
2—	सुभाष चन्द्र पुत्र श्री श्रवण कुमार जाति मेघवाल साकिन टिब्बी तहसील टिब्बी खातेदार	2 बी जे डब्ल्यू प्रथम	71/49 71/50 71/57	17/0.088है0, 24/0.253है0 = 0.341 है0 कमाण्ड , 4—7—14—17/1.012 है0 कमाण्ड , 20/2, 21/1 में 0.392 है0 कमाण्ड कुल तादादी 1.745 है0 कमाण्ड भूमि

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने तथा शेष प्रतिवादीगण के नाम वर्णित आदेश अनुसार बदस्तूरं रखे जाने के आदेश दिये जाते है । यदि किसी खातेदार का हिस्सा किसी वितिय संस्था के रहन है तो सम्बन्धित खातेदार के नाम रखा जावे। डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना —2 वहन करे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को खुले न्यायालय में सनाया गया ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.24 17:32:25 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत –सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी , सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

बइजलास – श्री संदीप कुमार आर. ए. एस.

अनवान :

सावित्री पत्नी श्री जेठाराम जाति नायक साकिन खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ राज0

———– वादीया

बनाम

1– आईदान पुत्र श्री चन्दुराम
2– आशाराम पुत्र श्री चन्दुराम
3–कलावती देवी पुत्री चन्दुराम
4– खींयाराम पुत्र श्री चन्दुराम
5–भोमाराम पुत्र श्री चन्दुराम
6–मुखराम पुत्र श्री चन्दुराम
7– रेशमा देवी पुत्री चन्दुराम
8–रामप्रताप पुत्र श्री चन्दुराम
9–लिछमादेवी पुत्री श्री चन्दुराम
10–हरीराम पुत्र श्री चन्दुराम

} अकवाम नायक साकिनान भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

11–जगदीश पुत्र श्री चिमनाराम
12–मनोहरी देवी पुत्र श्री चिमनाराम
13–रामूराम पुत्र श्री चिमनाराम
14–रायसिह पुत्र श्री चिमनाराम
15–लिछमा पुत्री श्री चिमनाराम
16–शंकरलाल पुत्र श्री चिमनाराम
17– सरबती पुत्री श्री चिमनाराम
18–परमेश्वरी पत्नी श्री चिमनाराम

} अकवाम नायक साकिनान भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

19–सरस्वती पत्नी श्री मोमनराम
20– हनुमान पुत्र श्री मोमनराम
21– पृथ्वीराम पुत्र श्री मोमनराम

} अकवाम नायक साकिनान भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

22– सुभाष चन्द्र पुत्र श्री श्रवण कुमार जाति मेघवाल साकिन निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
23– शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा पीलीबंगा
24–शाखा ब्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पीलीबगा।
25– शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कृषि विकास शाखा हनुमानगढ
26– शाखा प्रबन्धक आई सी आई सी आई बैंक शाखा सूरतगढ ।
27–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

———– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 आर. टी. [illegible] 11 वर्ष 2023 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभि[illegible] रामप्रताप तिवाड़ी, अभिभाषक प्रतिवादी सं0 22 कमलदत्त शर्मा एवं राजवी[illegible] तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है ।

वाद वादीया स्वीकार कर निम्न प्रकार से [illegible]त कर डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.24 17:32:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

 (प्र0स011/23 अनवान सावित्री बनाम आईदान वगैरा)

उक्त विवेचन अनुसार वाद वादीया एवं प्रतिवादी सं0 22 का प्रतिवाद-पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं0 11 ता 18 के नाम भूमि वाके चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम के खाता सं0 52/25 में प्रतिवादी नं0 11, 12, 14 ता 17 प्रत्येक का 0.094 है0 एवं प्रतिवादी सं0 18 का 0.093 है0 एवं प्रतिवादी सं0 13 का 0.254 है0 भूमि कलमजन कर वादीया के नाम दर्ज करने तथा वादीया के नाम चक 2 बी जे डब्ल्यू के खाता सं0 41/33 में 0.911 है0 भूमि कलमजन कर प्रतिवादी सं0 11, 12, 14 ता 17 प्रत्येक का 0.094 है0 एवं प्रतिवादी सं0 18 का 0.093 है0 एवं प्रतिवादी सं0 13 का 0.254 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड दर्ज करने के आदेश दिये जाते है । चक 2 बी जे डब्ल्यू प्रथम के खाता सं0 52/25 की कुल तादादी 8.235 है0 कमाण्ड का निम्न प्रकार से खाता विभाजन स्वीकार किया जाता है :-

क. स.	नाम काश्तकार	चक/ ग्राम	प0न0	किला नम्बर / रकबा
1-	सावित्री पत्नी जेठाराम जाति नायक साकिन खेदासर तहसील रावतसर खातेदार	2 बी जे डब्ल्यू प्रथम	71/49	13/0.240, 14/0.506 है0 , 17/0.165 है0 , 18/0.253 है0 कुल 0.911 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि
2-	सुभाष चन्द्र पुत्र श्री श्रवण कुमार जाति मेघवाल साकिन टिब्बी तहसील टिब्बी खातेदार	2 बी जे डब्ल्यू प्रथम	71/49 71/50 71/57	17/0.088है0, 24/0.253है0 = 0.341 है0 कमाण्ड , 4-7-14-17/1.012 है0 कमाण्ड , 20/2, 21/1 में 0.392 है0 कमाण्ड कुल तादादी 1.745 है0 कमाण्ड भूमि

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने तथा शेष प्रतिवादीगण के नाम वर्णित आदेश अनुसार बदस्तूरं रखे जाने के आदेश दिये जाते है । यदि किसी खातेदार का हिस्सा किसी वितिय संस्था के रहन है तो सम्बन्धित खातेदार के नाम रखा जावे ।

नोज ...×.....मुबलिग ...×.....बाबत .....×......खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ...×......फसदो की पालना......×........आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 16.07.2025 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.24 17:32:25 IST
Reason: SelfAttested